

ग्रामीण नकियों के लिये वित्त पोषण

प्रलिस के लिये:

[पंचायती राज संस्थाएँ \(PRI\)](#), [11वीं अनुसूची](#), [राज्य वित्त आयोग \(SFC\)](#), [GST](#), [ग्राम सभा](#), [वित्त आयोग](#)।

मेन्स के लिये:

ग्रामीण स्थानीय नकियों के वित्तपोषण और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज से संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: IE](#)

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने “पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित धनराशि में लगातार गिरावट” को चिन्हित किया है और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिये “तत्काल कदम” उठाएँ कि ग्रामीण स्थानीय नकियों को पर्याप्त, गैर-नरिबंधित और प्रदर्शन आधारित नधि आवंटित की जाए।

ग्रामीण स्थानीय नकियों के लिये वित्त या धन का स्रोत

- **स्वयं के संसाधनों से प्राप्त राजस्व (OSR):** ग्रामीण स्थानीय नकियाय स्वतंत्र रूप से करें (जैसे, संपत्तिकर, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (जैसे, लाइसेंसिंग शुल्क, जल आपूर्ति शुल्क) तथा अन्य स्रोतों (जैसे, जुर्माने, उपयोगकर्ता शुल्क) के माध्यम से धन जुटाते हैं।
- **साझा/आवंटित राजस्व:** राज्य या केंद्र स्तर की सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व जिसे ग्रामीण स्थानीय नकियों के साथ साझा किया जाता है या उन्हें सौंपा जाता है, जिसमें स्थानीय उपकर (सेस) व अधिशुल्क, साझा मनोरंजन कर, सामाजिक वानिकी से प्राप्त खनन रॉयल्टी या पट्टा आय का हिस्सा शामिल है।
- **केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान:** पंचायतों के वित्त का स्रोत मुख्यतः केंद्र सरकार होती है, जिसे वित्त आयोग की सफारिशों के आधार पर आवंटित किया जाता है, जिसमें **अबंध (Untied)** और **बंधित (Tied)** अनुदान शामिल हैं।
- **राज्य सरकार अनुदान (State Government Grants):** [राज्य वित्त आयोग](#) की अनुशंसा और राज्य सरकार द्वारा, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर स्थानीय नकियों को अनुदान व विकेंद्रीकृत नधि दी जाती है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत नधियाँ:** यह नधियाँ पंचायतों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दी जाती हैं, जैसे: मनरेगा, PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण), स्वच्छ भारत मशन, NRLM आदि।
- **वशेष अनुदान (Special Grants):** सांसद क्षेत्र विकास योजना ([MPLADS](#)), वधायक/एमएलसी क्षेत्र विकास योजनाएँ, पछिड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF) आदि के तहत।

ग्रामीण स्थानीय नकियों के वित्त पोषण से संबंधित समस्याएँ

- **पंचायतों के आवंटन में गिरावट:** संसदीय समिति ने उजागर किया है कि पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को आवंटित नधियों में लगातार कमी से [राजकोषीय विकेंद्रीकरण](#) प्रभावित होता है और वे अपनी संवैधानिक जमिंदारियों को पूरा नहीं कर पाती।
 - वर्ष 2024 की ["राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण रिपोर्ट"](#) में सीमिति सामाजिक ऑडिट, ग्राम सभा में कम भागीदारी और अपर्याप्त वित्तीय प्रकटीकरण जैसी समस्याओं को रेखांकित किया गया है, जिसे नगिरानी और पारदर्शिता कमजोर होती है।
- **राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन:** संसदीय समिति ने राज्यों को समय पर [राज्य वित्त आयोग \(SFC\)](#) का गठन सुनिश्चित करने पर बल दिया है, क्योंकि इसके **वलिंब**, **GST के केंद्रीकरण** व **सीमिति राजकोषीय स्वायत्तता** से पंचायतों की वित्तीय नयित्रण क्षमता प्रभावित होती है। समिति ने पाया कि केवल **25 राज्यों** द्वारा **SFC** गठित किया गया है, जबकि केवल **9 राज्यों** ने **6वाँ SFC** गठित किया है।
 - जहाँ **पंजाब और तमिलनाडु** ने **SFC** के पालन में मजबूती दिखाई है, वहीं **अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और तेलंगाना** जैसे राज्यों में **ATRs (कार्रवाई रिपोर्ट)** में देरी देखी गई है।
- **स्थानीय ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थता:** समिति ने जताया कि बिना शर्त और योजना आधारित नधियों में कटौती से पंचायतों की स्थानीय विकास

ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे सेवाओं, ढाँचागत विकास और सामाजिक कल्याण पर असर पड़ता है।

◦ वर्ष 2024 की रिपोर्ट दर्शाती है कि **संवधान की 11वीं अनुसूची** के तहत **29 वर्षियों का असंगत हस्तांतरण** भी राज्य सरकारों द्वारा नयितरण खोने के डर से पंचायतों की नरिणय क्षमता सीमति करता है।

- **संस्थागत कमजोरियाँ:** वर्ष 2024 रिपोर्ट में चिंता जताई गई कि **SC, ST और महिलाओं** के लिये आरक्षणित सीटों का रोटेशन नेतृत्व की नरितरता में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे नए नेता अपनी अलग प्राथमकिताएँ और दृष्टिकोण लेकर आते हैं।
- **ज़िला योजना समितियाँ (DPCs)** मौजूद तो हैं, लेकिन उनका क्रयिानवयन कमजोर है तथा नरिवाचति प्रतनिधि शासन, बजट और योजना नरिमाण में पर्याप्त प्रशकिषण से वंचित हैं।

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के वतितपोषण की स्थिति (राज्यों में पंचायतों को धन हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024)

- **राजस्व संरचना:** राजस्व संरचना: पंचायती राज संस्थाएं करों के माध्यम से केवल **1% राजस्व अर्जति करती हैं**, जो सीमति स्व-वतितपोषण क्षमता को दर्शाता है।
 - लगभग 95% राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये गए अनुदान से आता है।
- **प्रतिपंचायत राजस्व:** प्रत्येक पंचायत अपने करों से लगभग **21,000 रुपए** और **गैर-कर स्रोतों** से लगभग **73,000 रुपए** अर्जति करती है।
 - केंद्र सरकार का औसत अनुदान लगभग 17 लाख रुपए तथा राज्य सरकार का अनुदान लगभग 3.25 लाख रुपए प्रतिपंचायत है, जो बाहरी सहायता पर भारी नरिभरता को दर्शाता है।
- **राजस्व व्यय में कमी:** राजस्व व्यय का अनुपात प्रतिराज्य के **नाममात्र GSDP** के मुकाबले **0.6%** से भी कम है, जो बहिर में **0.001% से लेकर ओडिशा में 0.56%** तक है।
- **राज्यवार असमानताएँ:** केरल और पश्चिम बंगाल में औसत राजस्व सबसे अधिक है (क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए से अधिक), जबकि **आंध्र प्रदेश और पंजाब** जैसे राज्यों में राजस्व बहुत कम (6 लाख रुपए से कम) है।

ग्रामीण स्थानीय नकियाँ के वतितपोषण में सुधार के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **प्रदर्शन-संबद्ध संसाधन:** संसदीय समिति की रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त, असंबद्ध, प्रदर्शन-संबद्ध संसाधन आवंटित करने, **नधि संरक्षण** सुनिश्चित करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का आग्रह किये गया है।
 - **पंचायतों को स्थानीय करों** के माध्यम से राजस्व बढ़ाना चाहिए, तथा बेहतर कर संग्रह के लिये राज्य का सहयोग भी लेना चाहिए।
- **नधि आवंटन:** संसदीय समिति की रिपोर्ट में सफिरशि की गई है कि **पंचायती राज मंत्रालय को वतित मंत्रालय और प्रंद्रहवें वतित आयोग** के साथ समन्वय करके नधि आवंटन में कमी को तत्काल दूर करना चाहिए तथा PRI के लिये सुसंगत, असंबद्ध और प्रदर्शन-आधारित वतित सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।
 - **पंचायतों को वतितपोषित** करने की राज्यों की क्षमता के अनुरूप नयिमति वतित हस्तांतरण, **स्थायी स्थानीय शासन** के लिये महत्त्वपूर्ण है, जबकि अस्थायी अनुदानों के वपिरीत, यह सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास और समानता सुनिश्चित करता है।
- **राज्य वतित आयोग (SFC):** समिति की रिपोर्ट में सफिरशि की गई है कि पंचायती राज मंत्रालय को राज्य सरकारों को **राज्य वतित आयोग (SFC)** की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके और केंद्रीय अनुदान वतितरण में देरी को रोका जा सके।
 - राज्यों को **ATR** संवधान और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में सुधार करना चाहिए तथा **नयिमति रूप से रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट (ATR)** प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं पंचायतों हेतु नरितर वतितपोषण सुनिश्चित करने के लिये सफिरशियों का पूर्ण कारयानवयन करना चाहिए।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** राज्यों में पंचायतों को वर्ष 2024 का हस्तांतरण रिपोर्ट यह सफिरशि करता है कि PRI नधियों को डायवर्जन से बचाने, सरकारी स्तरों के बीच **राजकोषीय हस्तांतरण में पारदर्शिता** को बढ़ावा देने और नयिमति ऑडिट, **RTI प्रकटीकरण** और मज़बूत खरीद प्रक्रयियों के माध्यम से वतित जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये तंत्र स्थापति किये जाने चाहिए।
- **डजिटल अवसंरचना:** राज्यों में पंचायतों को 2024 का हस्तांतरण रिपोर्ट में सफिरशि की गई है कि पंचायतों को सार्वजनिक सेवाओं हेतु केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए, सरकारी योजनाओं तक पहुँच में सुधार करना चाहिए तथा बेहतर शासन और पारदर्शिता के लिये **डजिटल अवसंरचना** को बढ़ाना चाहिए।

नधिर्ष

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के प्रभावी कारयानवयन को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि समय पर नधियों का वकिंदरीकरण किये जाए, स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन को बढ़ावा दिया जाए, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किये जाए, साथ ही सतत् शासन के उपायों को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण नकियों को दीर्घकालिक विकास हेतु सशक्त बनाया जाए।

दृष्टभेन्स प्रश्न

प्रश्न. ग्रामीण नकियों को कम वतित पोषण मिलने से ग्रामीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। इसके प्रभावों को कम करने के लिये क्या

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कयिह एक प्रयोग है (2017)

- (a) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रिक वकिंदरीकरण का
- (c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

प्रश्न. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चिति करना है? (2015)

- 1. विकास में जन-भागीदारी
- 2. राजनीतिक जवाबदेही
- 3. लोकतांत्रिक वकिंदरीकरण
- 4. वत्तीय संग्रहण (फाइनेंशियल मोबलिाइज़ेशन)

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न 1. आपकी राय में भारत में शक्ति के वकिंदरीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन परदृश्य को कसि सीमा तक परिवर्तित कयिा है? (2022)

प्रश्न 2. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजयिे। विकास परयिोजनाओं के वत्तीयन के लयिे पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और कनि स्रोतों को खोज सकती हैं? (2018)